फैक्ट शीट 3

आजीविका: घर-खाता कामगार

चित्र: WIEGO के लिए रश्मि चौधरी

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली शहर में ही करीब 3-4 लाख घर-खाता कामगार हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। ये महिलाएं ग्राहकों को कम मेहनताने पर समान और सेवाएं मुहैया करवाती हैं और अपने परिवार की कमाई में हिस्सेदार बनती हैं। इस लिए ये जरूरी है कि उनके घरों को काम करने वाली जगह के तौर पर पहचान मिले। घर आधारित व्यवसाय कानूनी संरक्षण, दृष्टिक्षेत्र, अच्छी गुणवत्ता वाले घर, सामाजिक संरचना और काम करने लायक अच्छा महौल की मांग करता है।

मैं भी दिल्ली अभियान एक समावेशी शहर की कल्पना व उसके निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य करने वाला एक जन अभियान है। यह एक सामाजिक संस्थानों, ऐक्टिविस्ट, शोधकर्ताओं, तथा आवास, जीविका, लिंग-भेद, और अन्य अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है।

शहर में घर-खाता कामगार

श्रमिकों की श्रेणियां जो अपने घरों या उसके आसपास से ही उत्पादक या मेहनताने का काम करती हैं, वे घर-खाता कामगार हैं।
ये श्रमिक बड़ी मात्रा में घरेलू और वैश्विक बाजारों (डब्ल्यूआईईजीओ) के लिए कम और अधिक कीमत वाली सेवाएं और समान बनाते हैं।
घर-आधारित श्रमिक मुख्त: दो तरह के होते हैं:
स्वरोजगार- वो जो खुद ही अपने लिए कच्चा माल खरीदते हैं और उससे बनी चीजों को स्थीन ग्राहकों और खरीदारों को बेचते हैं।
पट्टेदार/घर-खाता कामगार- वो जो किसी स्वदेशी या वैश्किव सप्लाई चेन वाली संस्था के लिए निर्माण कार्य करते हैं।

दिल्ली में घर आधारित व्यवसाय के क्लस्टर

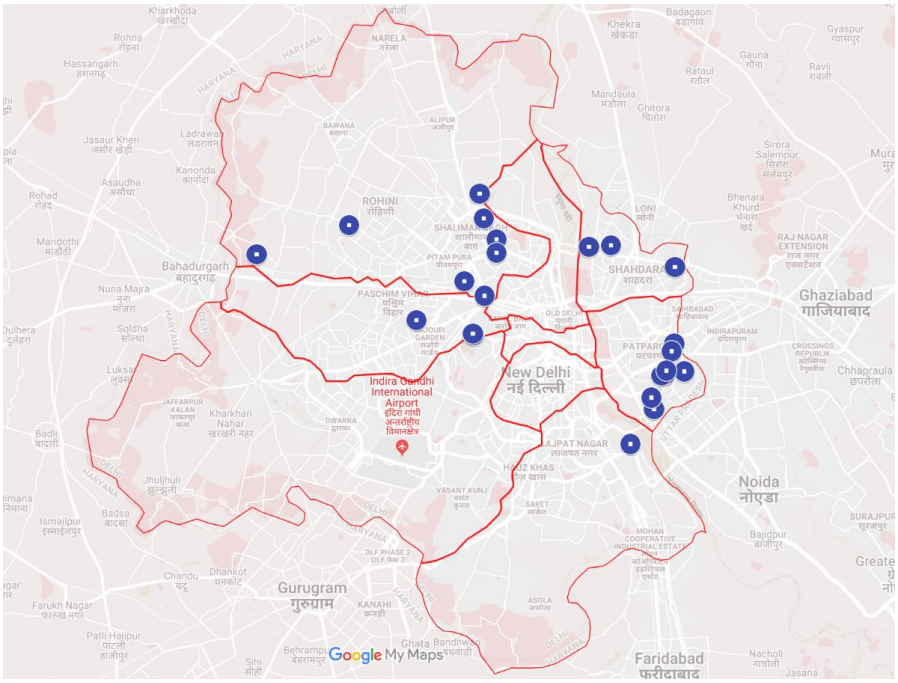

स्त्रोत: दिल्ली में घर-खाता कामगार के प्राथमिक और माध्यमिक शोध के आधार डब्ल्यूआईईजीओ द्वारा की गई मैपिंग

अनुमान के मुताबिक दिल्ली में गैर-कृषि क्षेत्र में 7 प्रतिशत लोग काम करते हैं- 13 प्रतिशत महिलाएं और 6 प्रतिशत पुरुष (डब्ल्यूआईईजीओ)

शहर के लिए योगदान

घर की आय में योगदान
आर्थिक तंगी के दौरान किया लिया जाता है- जिससे की मासिक मजदूरी से ज्यादा और लगातार पैसे मिलते रहें

देखभाल का काम
घर के दूसरे कामों के साथ साथ बच्चों का बड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी बखूबी निभाई जाती है।

आर्थिक मूल्य

कम लागत वाले समानों को मुहैया करवाना
दूसरी चीजों के लिए मांग पैदा करना
कम लागत के कारण औद्योगिक लागत सस्ति टैक्स

पर्यावरण संबंधी
यातायत के उलब्ध पारंपरिक साधनों पर निर्भरता की जगह पैदल या साइकिल से चलने के कारण घर-खाता कामगार न तो ट्रैफिक बाधा उत्पन्न करते हैं और न ही वायू प्रदूषण में भागीदार बनते हैं।

मुख्य मुद्दे

घर-खाता कामगारों की परेशानियां
कानूनी पहचान की कमी
श्रमिकों की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं और शहर के रोजगार में गिना जाता है
घर को काम की जगह के तौर पर पहचान नहीं
कोई राष्ट्रीय नीति नहीं
काम करने लायक महौल की कमी
कम मेहनताना
लंबी और बिना समय सीमा के काम के घंटे
कोई औपचारिक अनुबंध नहीं
कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं
बाजारों तक पहुंच नहीं
नेतृत्व या प्रतिनिधित्व की कमी
निष्कासन नीति
काम के संबंध में जरूरी जानपहचान के नुकसान के कारण कीमत के लिए मोलभाव की कम संभावना
पुनर्वासिय इलाकों में आजीविकी के दूसरे विकल्पों की कमी
क्षेत्रीकरण के सख्त अधिनियम
एकल इस्तेमाल वाले क्षेत्रों में घर पर व्यवसाय करने पर जुर्माना
मूलभूत सुविधाओं की कमी
घर और काम करने की जगह एक ही होने के कारण भीड़भाड़ की समस्या दो गुनी हो जाती है
समय समय पर घर के काम की जिम्मेदारियों की वजह से उत्पादक कार्यों का समय बर्बाद होता है
जिससे महिलाओं पर काम का दबाव बढ़ जाता है
सुरक्षा और यातायात का खर्च वहन करने की क्षमता का असर उत्पादन क्षमता और आय दोनों पर पड़ता है
खराब गुणवत्ता वाले छोटे घर
घर छोटा होने के कारण बड़ा ऑर्डर नहीं ले सकते
घर में जगह कम होने के कारण काम का वक्त बढ़ जाता है
माल के भंडारण के जगह की कमी
दोयम दर्जे के घर और उनमें हवा के आवाजाही की सही व्यवस्था न होने के कारण माल का नुकसान तनाव बढ़ा देता है
घरों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया जाता

घर-खाता कामगारों के लिए एमपीडी '41 क्या कर सकती है?

1 **गणना के जरिए पहचान**

सही प्रावधान करने के लिए सर्वेक्षण के जरिए घर-खाता कामगारों की सही संख्या के जरिए किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

2 **बेहतर डिजाइन और संरचना के जरिए घरों को उत्पादक संपत्ति बनाना**

- आजीविका की जरूरतों को समायोजित करने के लिए घर की बेहतर डिजाइन और संरचना- इसमें रौशनी की अच्छी व्यवस्था, तहखाने, भंडारण सुविधाएं, सुरक्षा जैसी चीजें शामिल हैं।

3 **मूलभूत भौतिक और सामाजिक संरचना तक सभी की पहुंच**

- सामाजिक संरचनाएं और सेवाएं जैसे पानी, बिजली और यातायात कर पहुंच
- पुनर्वास वाली जगहों पर सामाजिक संरचनाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार और यातायात की सुविधा
- पड़ोस में ही बच्चों के देखभाल के लिए सुविधाएं
- सड़कों पर रौशनी की व्यवस्था और सुरक्षित यातायात
- सामुदायिक जगहों का निर्माण मुख्य सड़क और फ्लाइओवरों से दूर होना चाहिए जिससे कि चलने फिरने के लिए फुटपाथ और फुट-ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं संभव हो सकें

4 **निष्कासन नीति नहीं**

- बेदखली और पुनर्वास के बदले इन-सीटू उन्नयन को प्राथमिकता

5 **जोनिंग में सभी तरह के काम संभव**

जोनिंग में सभी तरह के काम संभव पर प्रणाली पर दोबारा विचार कर सही से लागू करने की जरूरत

6 **प्राभावी तरीके से सामुदायिक जगह और बाजार का निर्माण**

घर से पास में सामुदायिक जगह का इस्तेमाल काम करने की जगह, बच्चों के देखभाल की जगह के रुप में इस्तेमाल
घर-खाता कामगरों द्वारा बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए दिन और रात में लगने वाले विशेष बाजारों का प्रबंध करना
घर के पास ही खुली जगह में पार्क का निर्माण जिससे घर की लड़कियां और महिलाएं उसका इस्तेमाल कर सकें

संदर्भ:
- चेन एम और सिन्हा एस (2016), 'होम-बेस्ड वर्कर्स एंड सिटीज' इन इनवायर्मेंट एंड अर्बनाइजेन संस्करण 28 अंक 2
- एंपावरिंग होम-बेस्ड वर्कर्स: स्ट्रैटिजी एंड सॉल्यूशन (2016)
- चेन एम (2014), 'द अर्बन इनफॉर्मल वर्कफोर्स: होम बेस्ड वर्कर्स', इनफॉर्मल इकोनॉमी मॉनिटरिंग स्टडी सेक्टर रिपोर्ट
- नोहन मथियास (2011), 'मिक्स्ड-यूज जोनिंग एंड होम-बेस्ड प्रोडक्शन इन इंडिया', डब्ल्यूआईईजीओ टेक्निकल ब्रीफ्स (अर्बन पॉलिसीज)
- 'ब्रिंग विजिबिल्टी टू द होम-बेस्ड बर्कर्स इन इंडिया: ए स्कोपिंग स्टडी इन दिल्ली' (2018) बाई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट
- संचित रुची (2015), इक्रिजिंग लाइवलिहुड फॉर होम-बेस्ड एम्ब्रॉएड्री वर्कर्स इन दिल्ली, प्रीपेयर्ड एज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव सिर्टीज प्रोजेक्ट, डब्ल्यूआईईजीओ
- 'द अर्बन इनफॉर्मल वर्कफोर्स: होम-बेस्ड वर्कर्स' प्रीपेयर्ड फॉर इंफॉर्मल इकोनॉमी मॉनिटरिंग स्टडी अंडर इंक्लूसिव सिटीज प्रोजेक्ट
- रवेन्द्रन जी एट अल (2013), 'होम-बेस्ड वर्कर्स इन इंडिया: स्टैटिसस्टिक्स एंड ट्रेंड'